रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, शनिवार, जून 16, 1979/ज्येष्ठ 26, 1901
No. 188] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 16, 1979/JYAISTHA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1979

सा०का०नि० 378 (अ)—केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (1) तथा धारा (34) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं और आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, निदेशक करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के अवसान के पश्चात ठीक आगामी दिन से मुम्बई पत्तन में प्रवेश करने वाले तथा इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित जलयानों पर, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और स्तम्भ (3) में नियत समयों पर पत्तन शुल्क उदग्रहणीय होगा ।

अनुसूची

प्रभार्य जलयान	प्रति एन आर टी पत्तन शुल्क की दर	एक ही जलयान पर शुल्क कितनी बार प्रभार्य है
(1)	(2)	(3)
1 (क) दस टन और उससे अधिक के विदेशगामी जलयान (सिवाय मछलीमार नौकाओं के)	रु० 1.50 पैसे	एक मास में एक बार
(ख) टग नौकाएं, फेरी नौकाएं और नदी नौकाएं जो भारत के बाहर के पत्तनों से आएं, चाहे वे भापचालित हों अथवा अन्य यांत्रिक साधनों से चालित ।	रु० 1.50 पैसे	प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई तथा 31 दिसम्बर के बीच एक बार ।
2 (क) दस टन और उससे अधिक के तटवर्ती जलयान (सिवाय मछलीमार नौकाओं के)	64 पैसे	एक मास में एक बार
(ख) तटवर्ती जलयान जैसे कि टग नौकाएं, फेरी नौकाएं और नदी नौकाएं चाहे वे भाप चालित हों अथवा अन्य यांत्रिक साधनों से चालित हों ।	64 पैसे	प्रतिवर्ष, 1 जनवरी और 30 जून के बीच एक बार और 1 जुलाई तथा 31 दिसम्बर के बीच एक बार ।
3 (क) पत्तन में प्रवेश करने वाले भारयुक्त जलयान जो यात्रियों को वहन न कर रहे हों,		
(i) किन्तु पत्तन में कोई स्थोरा या यात्री लेते हैं	पत्तन शुल्क का तीन चौथाई	एक मास में एक बार
या		

(1)	(2)	(3)
(ii) किन्तु पत्तन से, किसी यात्री या स्थौरा को लिए बिना चलते हैं,	पत्तन शुल्क का आधा	एक मास में एक बार
(iii) मरम्मत, शुल्क डाकिंग, बंकरों में लेने, सामग्री या जल या कर्मीदल के परिवर्तन या कर्मीदल के किसी रुग्ण सदस्य के छोड़ने और पत्तन से कोई यात्री या स्थौरा को लिए बिना चलने के प्रयोजनार्थ,	पत्तन शुल्क का आधा	एक मास में एक बार
(ख) ऐसा जलयान जो पत्तन शुल्क दे चुकने के पश्चात पत्तन छोड़ देता है किन्तु जिसे स्थौरा या यात्रियों सहित या किसी अन्य प्रयोजन से उसी मास के भीतर जिसके लिए संदाय किया जा चुका है, पत्तन में पुनः प्रवेश करना पड़ता है।	पत्तन शुल्क का एक चौथाई	
4 ऐसा जलयान जो पत्तन में प्रवेश करता है किन्तु जो कोई स्थौरा या यात्री न तो उतारता है और न लादता है (सिवाय ऐसी उतराई या भराई जो मरम्मत के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो)	पत्तन शुल्क का आधा	एक मास में एक बार
5 तार जलयान	पत्तन शुल्क का आधा	
6 मनोरंजन यान्ट या अन्य जलयान जिसे पत्तन छोड़ने के पश्चात मौसम के कारण अथवा कोई खराबी हो जाने के कारण चाहे वह मौसम के कारण हुई हो, अथवा अन्यथा, पुनः पत्तन में प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़े।	कोई पत्तन शुल्क नहीं	
7 विपत्तिग्रस्त जलयान जिस पर स्थौरा लदा हो और जिसे ठेलकर बंदरगाह में लाया जाए।	पूर्ण पत्तन शुल्क	एक मास में एक बार
8 विपत्तिग्रस्त जलयान जिस पर कोई स्थौरा न लदा हो जिसे ठेल कर बंदरगाह में लाया जाए।	पत्तन शुल्क का तीन चौथाई	

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में,—

(1) "तटवर्ती जलयान" से वह जलयान अभिप्रेत है जो भारत स्थित किसी पत्तन या स्थान से भारत स्थित किसी अन्य पत्तन या स्थान के लिए यात्रियों या माल को समुद्री मार्ग से ले जाने का कार्य कर रहा हो।

(2) "विदेशगामी जलयान" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो भारत स्थित किसी पत्तन या स्थान और किसी अन्य पत्तन या स्थान के या भारत से बाहर स्थित किसी पत्तन या स्थान के बीच व्यापार में लगा हो।

(3) "मनोरंजन यान्ट" से किसी भी साधन से चालित ऐसा पोत अभिप्रेत है जो पूर्णतया मनोरंजन यात्राओं के लिए प्रयोग में लाया जाए और जो वाणिज्यिक आधार पर यात्रियों का वहन न करें।

(4) "तार जलयान" से अभिप्रेत है ऐसा जलयान जो विदेश संचार के लिए यंत्रों से तथा सब-मैरिन केबलों को उठाने, उनकी परीक्षा करने और उन्हें बिछाने के लिये गियरों से सज्जित हों।

[संख्या पी० जी० आर० 42/79]

विनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1979

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33 and Section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), and in supersession of all previous notifications and orders on the subject, the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, port dues shall be levied on vessels entering the Port of Bombay and described in column 1 of the Schedule hereto annexed at the rates specified in column 2 thereof and at the time fixed in column 3 of the said Schedule.

SCHEDULE

Vessels Chargeable	Rate of port dues per NRT	Due how often chargeable in respect of same vessels
(1)	(2)	(3)
1(a) Foreign going vessels of Ten tons and upward (excepts fishing boats).	Rs. 1.50 paise	Once in the same month.
(b) Tug boats, ferry, boats and river boats, whether propelled by steam or other mechanical means arriving from ports outside India.	Rs. 1.50 paise	Once between the 1st January and the 30th June and once between the 1st July and 31st December in each year.
2(a) Coasting vessels of Ten tons and upwards (except fishing boats).	64 paise	Once in the same month.
(b) Coasting vessels such as tug boats, ferry boats and river boats, whether propelled by steam or other mechanical means.	64 paise	Once bewteen the 1st January and the 30th June and once between the 1st July and 31st December in each year.

(1)	(2)	(3)
3(a) A vessel entering the Port in ballast and not carrying passengers.		
(i) but taking in any cargo or passengers at the port OR	3/4th of the port dues	Once in the same month.
(ii) but sailing from the Port without taking in any passengers or cargo OR	1/2 of the port dues	Once in the same month.
(iii) for the purpose of repairs, dry docking taking in bunkers, provisions of water or for change of crew or for discharging any sick member of the crew and sailing from the Port without taking in any passengers or cargo.	1/2 of the port dues	One in the same month.
(b) A vessel, which, having paid 3/4 port dues, leaves port but again re-enters the port with cargo or passengers or for any other purpose within the month for which payment was made.	1/4th of the port dues	
4. A vessel which enters the port but does not discharge or take in any cargo or passengers (with the exception of such unshipment and re shipment of cargo as may be necessary for purposes of repairs).	1/2 of the port dues	Once in the same month.
5. Telegraph vessels	1/2 of the port dues	
6. Pleasure Yacht or any vessel which having left the port is compelled to re-enter it by stress of weather or in consequence of having sustained any damage, either with or without stress of weather.	No port dues	
7. A vessel in distress with cargo on board brought into harbour in tow.	Full port dues	Once in the same month.
8. A vessel in distress with no cargo on board brought into harbour in tow.	3/4 of the port dues	

Explanation—In this Schedule—

(1) "Coasting vessel" means a vessel engaged in the carriage by sea of passengers or goods from any port or place in India to any other port or place in India.

(2) "Foreign going Vessel" means a vessel employed in trading between any port or place in India and any other port of place or between ports or places outside India.

(3) "Pleasure Yacht" means a ship howsoever propelled which is exclusively used for pleasure cruises and does not carry any passengers on a commercial basis.

(4) "Telegraph Vessel" means a vessel equipped with machinery and gears for lifting, examining and laying submarine Cables for Overseas communications.

[F. No. PGR-42/79]

D. K. Jain, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979